



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष संरक्षण)
प्रथम तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल

O/o Principal Chief Conservator of Forests, (Wing Prot)
First Floor, Satpura Bhawan, Bhopal Tel.: 0755-2674212 F
E-mail : apccfprot@mp.gov.in

ra desh

आर०शर्मा, जा.व.से.
वर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
रक्षण)मध्यप्रदेश ।

पत्र क्रमांक वन्धु 606
भोपाल, दिनांक 01/06/13

पृ.क्र.	
पिछला	अगला

विषय :- वन क्षेत्रों में अतिकमण एवं अवैध कटाई ।

वन क्षेत्रों में अतिकमण एवं अवैध कटाई की घटनाओं को रोकने हेतु मेरे द्वारा एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा पूर्व में कई बार निर्देश दिये जा चुके हैं, किन्तु इन निर्देशों के बाबजूद भी वन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में अतिकमण एवं अवैध कटाई हो जाना चिन्ता का विषय है। अभी-अभी खण्डवा एवं झाबुआ वनमण्डल में अतिकमण करने के उद्देश्य से 3 से 5 हैक्टर क्षेत्र में कापिस ग्रोथ को काटा जाकर अतिकमण के प्रयास किये गये ।

अगर क्षेत्रीय अधिकारी / कर्मचारी वन क्षेत्रों का सघन भ्रमण करें एवं सचेत रहें तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था एवं भविष्य में भी रोका जा सकता है। क्षेत्र में बड़े अतिकमण के प्रयासों का पता समय पूर्व न लग पाना आश्चर्यजनक है, क्योंकि बड़े क्षेत्र में कापिस को काटकर अतिकमण के प्रयास करने में काफी समय लगता है। इस संबंध में अगर आप यह कहें कि अधिक संख्या में व्यक्ति (100-200) एकदम एकत्रित होकर कम समय में यह कार्य किया है तो भी इतनी संख्या में लोगों का एक ही क्षेत्र में जमा होकर अवैध कटाई एवं अतिकमण के प्रयास किये जाना एक अति असामान्य घटना है जिसे वनों की सुरक्षा करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों को तत्काल पता लगना चाहिये क्योंकि जागरूक वनकर्मी या नागरिक इस तरह के प्रकंरणों की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों को देते हैं। इस तरह की सूचना समय पर न मिलना भी आपके तंत्र की असफलता को दर्शाता है।

मेरे द्वारा ऐसे प्रकरणों में घोर अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है एवं आप सभी को निर्देश दिये जाते हैं कि आप एवं आपके अधिनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी वन क्षेत्रों का सतत भ्रमण करें, गोपनीय तंत्र विकसित करें, रात्री गश्त

करें तथा वन अपराधों पर कड़ा नियंत्रण रखें ताकि अतिक्रमण एवं अवैध कटाई की घटनायें न हों। गश्ती हेतु आपको वाहन भी प्रदाय किये गये हैं। मेरा आप लोगों से विशेष अनुरोध है कि वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा हेतु कड़े से कड़े कदम उठाये जायें ताकि ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखा जा सके।

भवदीय,

T. R. S.
(टी.आर.एस.)

प्रति

श्री भा व से

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

..... वृत्त

मध्यप्रदेश।

५०८